न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या–105/20 धारा 144 द0प्र0सं0

पार्वती देवी.....प्रथम पक्ष

बनाम्

रोहित महतो वगै0.....द्वितीय पक्ष

आदेश

दिनांक 03/09/20.... अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद थाना प्रभारी, बगोदर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के पार्वती देवी बनाम् द्वितीय पक्ष के रोहित महतो वगै0 को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई। साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा–पोचरी, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह, खाता संख्या–61, प्लॉट संख्या–1056, रकवा–06 डी0 मद्ये 02 डी0, चौहदी : उ0–गिरधारी महतो, द0–चैतो महतो, पू0–जीतन, प0–जीतन महतो।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर अपने दलील में बतलाया गया है कि– .

1. यह कि उपरोक्त जमीन प्रथम पक्ष को एग्रीमेंट के द्वारा सोमरी देवी पति श्री कार्तिक महतो बनाम पार्वती देवी पति स्व0 भागीरथ महतो को कुल मो0 14,500/– चौदह हजार पॉच सौ रूपये मात्र में मौजा–पोचरी, थाना–बगोदर, थाना नं0–253, परगना–रामपूर, खेवट नं0–01, रामगढ तौजी नं0–28, खाता नं0–61, प्लॉट नं0–1053, रकवा–06 डी0 मद्ये 0.02 डी0 हासिल है।
2. यह कि अपने वंशानुगत मनी महतो ने अपनी बेटी सोमरी देवी को बजरिये केवाला 6248 दिनांक–10.06.1994 खाता संख्या–54, प्लॉट

नं0–2596 एवं खाता नं0–61 प्लॉट सं0–1056, रकवा–06 डी0 मध्ये बिक्री रकवा–02 डी0 एवं खाता नं0–62 प्लॉट नं0... के जमीन को अपने वंशावली के आधार पर अपने हिस्से की जमीन को अपने पुत्री सोमरी देवी को दान पत्र लिख दिये हैं।

यह कि दानपत्र से हासिल जमीन को ही सोमरी देवी ने प्रथम पक्ष के पार्वती देवी के पास अपने उक्त दखल कब्जे की जमीन को एग्रीमेंट कर दिये और प्रथम पक्ष को उक्त एग्रीमेंट के जमीन जिसका खाता नं0–61, प्लॉट नं0–1056, रकवा–06 डी0 मध्ये बिक्री रकवा–02 डी0, चौहदी : उ0–गिरधारी महतो, द0–चैतो महतो, पू0–जीतन महतो, प0–जीतन महतो है दखलकार किए। तबते लगातार प्रथम पक्ष उक्त जमीन पर दखलकार हुए।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों की छाया प्रति प्रस्तुत किये हैं–

- एग्रीमेंट
- खतियान

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर अपने दलील में बतलाया है कि–

1. यह कि यह जमीन जीतन महतो, ढालो महतो, धरम महतो तीनो पे0 डगरू महतो तथा जिबलाल महतो, खागो महतो, छोट्टु महतो, भैरो महतो, मनी महतो सभी पिता स्व0 गोभी महतो एवं लाटो महतो पे0 पचु महतो को बराबर हिस्सेदारी प्राप्त है। यह जमीन द्वितीय पक्ष को उनके पूर्वज भैरो महतो से खतियानी हासिल है।
2. यह कि प्रथम पक्ष उक्त जमीन पर एक एकरारनामा के आधार पर दावा कर रही है, जो कि वैध नहीं है। चूँकि द्वितीय पक्ष पिछड़ी जाति से आते हैं एवं CNT Act Section-46(B) के आधार पर बिना उपायुक्त आदेश के उक्त जमीन की बिक्री नहीं हो सकती है।
3. यह कि उक्त जमीन के कुछ हिस्से पर द्वितीय पक्ष सपरिवार रह रहा है। कुछ हिस्सा आंगन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

द्वितीय पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित

दस्तावेजों की छाया प्रति प्रस्तुत किये हैं-

- खतियान
- वंशावली

थाना प्रभारी, बगोदर द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि-"खाता सं0-61, प्लॉट सं0-1056, रकवा-06 डी0, 02 डी0 जमीन 14500/- (चौदह हजार पाँच सौ रुपये) में आवेदिका प्रथम पक्ष पार्वती देवी द्वारा दिनांक-05.09.2012 को लिया गया था। परन्तु जमीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ जिस कारण उस जमीन में द्वितीय पक्ष अपना हक जता रहे हैं। परन्तु आवेदिका पार्वती देवी उक्त जमीन पर बाजरन ईंट लाकर चारदिवारी का करना चाह रही है जिस कारण द्वितीय पक्ष से हमेशा गाली-गलौज व झगडा झंझट होता रहता है। द्वितीय पक्ष से पूछताछ से पता चला कि उक्त जमीन में उनका स्वयं का हक है परन्तु एग्रीमेंट के आधार पर प्रथम पक्ष की आवेदिका कार्य करना चाहती है, जिससे उभय पक्षों में तनाव व्याप्त है।"

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के कथन सुनने, थाना प्रभारी बगोदर के प्रतिवेदन का अवलोकन करने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन तथा सम्यक विचारोपरांत यह स्पष्ट होता है कि मामला हक-हकियत से संबंधित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

लेखापित।

03/09/20

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

03/09/20

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.09.24 15:45:12 +05:30
Location: 192.168.43.238